देखिए, इसी ईमारत को हम ढाह सकते हैं। वाजपेयी जी चाहें तो आग लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं। आप लोग भी चाहें तो इसको आग लगाकर मुस्मार कर सकते हैं लेकिन बना भी सकते हैं। लेकिन क्या वाजपेयी जी मेरा गला घोंट दीजिएगा तो हमको वापस ला सकते हैं तो वह काम अपने हाथ से मत कीजिए जिसे कि आप वापस नहीं ला सकते हैं बाकी जितना करना हो करिए। ट्रेन उलटिए, ये उलटिए, लेकिन मारिए मत किसी को और हम फिर कह देते हैं, इसलिए कि अभी आप ही ने उस रोज कहा था कि 10 या 11 कितने हैं, लोग जो हैं, आडवाणी साहब और किसको मारने के लिए कहां से चल पड़े हैं। कोई इसके लिए सोसायटी बनती है, सोसायटी नहीं, सोसायटी तो अपने मत में हो जाती है। आज मैं जानता हूं कि कोई मिनिस्टर, क्रेकेट कहते हैं, कि क्लैकरोग कहते हैं, कि एलसेबियन डोग कहते हैं, आज तक हमने अपनी जिन्दगी में एक चूहा भी नहीं रखा कि हमको हिफाजत करोगे इसलिए कि हमको कोई फिक्र नहीं है, हमको कोई डर नहीं है।···(व्यवधान)···अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, चूंकि मैं उनको मौजूदा लीडर मानता हूं और उनकी मुश्किलात को मैं जानता हूं और मेरे जो भाई हैं वे इनको नहीं जानते हैं। मैं उनसे कहता हूं यह चीज जो लोगों के दिलोदिमाग में है उन लोगों को छोड़ दीजिए। आप लड़िए बाबू नरसिंह राव जी से, अर्जुन सिंह जी से, शरद पवार जी से लड़िए और खूब अच्छी तरह से मुकाबला कीजिए। हम लोगों पर आज की जिन्दगी में हम चाहते हैं कि हम लोगों पर रहम कीजिए। हम लोग बहुत कमजोर हैं लेकिन न वे मानते हैं, न आप, तो फिर हम कहां जाएंगे। देखिए आज आपसे माफी मांग करके कहता हूं कि हम पर रहम कीजिए।

[अनुवाद]

//

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन बहुत से माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और अपना बहुमूल्य योगदान दिया। यह वाद-विवाद बहुत थका देने वाला रहा। बहुत से सदस्यों ने उत्सुकता, नाराजगी और तथ्यों के साथ विद्वतापूर्ण ढंग से अपने विचार व्यक्त किए। शायद यह वाद-विवाद ससद के इतिहास के बहुत अच्छे वाद-विवादों में से एक होगा मैं एक बार पुन: उनका आभार प्रकट करता हूं। यह अवसर अपने आप में अन्तरावलोकन करने, गंभीरता और सौम्यता दिखाने का है और शायद यह एक ऐसा अवसर है जबकि हम में से प्रत्येक को भविष्य की ओर निहारना होगा।

यह देश एक महान देश रहा है। यह देश बहुत प्रगति कर चुका है। इसके समक्ष कई अड़चनें आई हैं परन्तु यह हरेक अड़चन के बावजूद शसक्त बनकर आगे बढ़ा है कमजोर बनकर नहीं। मुझे विश्वास है कि यह बहुत दुखद घटना, नफरत और विध्वंसकारिता के इस कृत्य को जोकि 6 दिसम्बर को हुआ उसे यथाशीघ्र लोगों के दिमाग से मिटा दिया जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो। इस घटना की धुंधली सी याद भी देश के लिए हानि कारक होगी और मैं सभी वर्गों के लोगों और सदन में सभी पक्षों के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे इस प्रक्रिया में हमारी सहायता करें। 6 दिसम्बर की इस शर्मनाक घटना को लोगों के दिमाग से निकालने में सहायता करें और विश्व के सामने एक बार फिर यह सिद्ध करने में हमारी सहायता करें कि यह केवल हमारी एक भूल थी अन्यथा देश में सौहार्द और भाईचारा है और यह देश हजारों वर्षों से एक रहा है और आने वाले हजारों वर्षों तक एक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह एक विचित्र बात है कि यह चर्चा एक अविश्वास प्रस्ताव के रूप में सदन में आई। भारतीय जनता पार्टी को भारत सरकार में विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर विश्वास किया। हो सकता है कि भारत सरकार के साथ यह

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

अच्छा न्याय किया गया हो। मुझे उसे अपनाया होगा। मुझे उसे स्वीकार करना होगा। परन्तु हम इस देश को कैसे चला सकते हैं ? केन्द्र-राज्य सम्बन्ध कैसे चल सकते हैं शक के आधार पर ? अविश्वास के आधार पर ? हम देश को कैसे चला सकते हैं। हम उन राज्य सरकारों को कैसे चला सकते हैं जो बहुत अधिक निकटता से केन्द्र से जुड़ी हुई हैं और उन्हें हर समय तीन टांग की दौड़ दौड़नी पड़ती है ? उनमें से कोई भी एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है।

राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकों और मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में हमने यह देखा कि यदि अलग-अलग करके देखा जाए तो प्रत्येक समस्या एक-दूसरे से बहुत अधिक जुड़ी हुई लगती है परन्तु यही समस्याएं तब आसान हो जाती हैं जब कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार बैठकर इन पर व्यापक रूप से विचार करती हैं और इन्हें मिलकर दूर करने की कोशिश करती हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद पिछले डेढ वर्ष से इस दिशा में कार्य कर रही है। इस परिषद की अनेक उप-समितियां गठित की गई हैं जिनका अध्यक्ष मुख्य मन्त्रियों को बनाया गया है, चाहे वह किसी दल के हों, और वह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं रहा है और कुल मिलाकर राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपने इस कार्यकरण से प्रशंसनीय ढंग से अपना दायित्व निभाया है। यह इस बात का उदाहरण है कि एक संघ राज्य को कैसे कार्य करना चाहिए।

परन्तु क्या किसी संघ की केन्द्रीय सरकार के लिए यह बात संभव है या मानने योग्य है अथवा उसे इसकी कल्पना भी करनी चाहिए कि उसकी इकाइयों में से एक राज्य सरकार सत्यनिष्ठ आश्वासन देते हुए एक हल्फनामे के बाद दूसरा हल्फनामा देती रहे और अन्ततः उन आश्वासनों का इस तरह से उल्लंघन करे कि उनका आखिरी पल तक पता न लग सके ?

इसीलिए जो कुछ हुआ उस सब को देखने के बाद मैंने पहली प्रतिक्रिया यह व्यक्त की कि यह सब कुछ पूर्व नियोजित था। इस सम्बन्ध में जांच होगी। मैं जांच के परिणामों का अंदाजा नहीं लगाना चाहता हूं। परन्तु यह सब इतना सुनियोजित था, और यह एक दुर्घटना मात्र नहीं थी।

महोदय, उन पर विश्वास करने के लिए मुझ पर दोष लगाए गए, मेरी आलोचना की गई। मैंने सिर्फ एक यही गलती की कि उन पर विश्वास किया। मैं इस बात को मानता हूं। मैं एक राज्य सरकार का विश्वास करने का दोषी हूं। इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। परन्तु मैंने इस पर केवल केन्द्र सरकार के बतौर विश्वास नहीं किया मैंने देखा कि राज्य सरकार के आश्वासनों पर विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। क्या उस स्थिति में कोई दूसरा तरीका था जबकि उच्चतम न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया था ? उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई-दर-सुनवाई राज्य सरकार में अधिक विश्वास व्यक्त किया। राज्य सरकार को और हल्फनामें दाखिल करने के लिए कहा। किसी समय मुझे इस प्रश्न से दूर ही रहने के लिए कहा क्योंकि वह इस बात पर राज्य सरकार को अजमाना चाहता था। उच्चतम न्यायालय को राज्य सरकार पर पूरा भरोसा था। मैं इसमें एक पक्ष नहीं हूं। केन्द्र सरकार इस मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं है। परन्तु एक विशेष उद्देश्य से मुझे बुलाया गया था। मैंने कहा —कि उच्चतम न्यायालय हम से जिस तरह का भी सहयोग चाहता है हम उसके साथ पूरी तरह से उस तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं,।" हमारी केवल यही भूमिका रही है।

अन्त में 6 तारीख को ही जो कुछ हुआ उसे देखकर उच्चतम न्यायालय स्तब्ध रह गया उन्होंने जो कहा

वह सामने है। मुझे याद नहीं है कि संघीय ढांचे में किसी राज्य सरकार ने इस तरह का व्यवहार किया हो। अत: जिन्होंने मुझ से कहा और अब भी कह रहे हैं क्या हमने आपसे नहीं कहा था ? जी हां उनकी बात सही सिद्ध हो गई है। परन्तु मेरी बात जुलाई में सही सिद्ध हो गई थी। अत: प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही सिद्ध हुआ है। प्रश्न यह है कि इस प्रक्रिया में भारत के संविधान का क्या हुआ ? इसका उल्लंघन हुआ है। अनुच्छेद 356 का क्या हुआ ? इसका उल्लंघन हुआ। मैं चाहता हूं कि संविधान विशेषज्ञ इसकी जांच करें। ऐसा कहां लिखा है कि किसी संघ के राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य का शासन नहीं चलाया जा सकता है। संक्षेप में वह बात क्या है ? हमने कई बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया है। अधिकांश राज्य सरकारें कांग्रेस दल की थी और उनकी बर्खास्तगी के समय केन्द्र में उसी दल की सरकार थी। मुख्य मन्त्रियों को त्यागपत्र देना बहुत आसान था।

हमने यहां से सलाहकार भेजे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उन कुछ मामलों में जिनमें अन्य सरकारों को भी बर्खास्त किया गया था उनमें इसी तरह की प्रक्रिया त्यागपत्र से शुरू होने वाली नहीं, बल्कि कुछ अन्य प्रक्रिया अपनाई गई थी। परन्तु किसी भी मामले में अनुच्छेद 327 के व्यवहारिक प्रभाव की परीक्षा नहीं ली गई थी। आपने सलाहकार भेजे। वह एक दिन पहले या बाद में कार्यभार संभाल सकते हैं। लेकिन यहां अयोध्या का मामला है मैं राज्य सरकार को बर्खास्त किए बिना कुछ नहीं कर सकता। मैंने अर्द्ध सैनिक बलों की अपनी टुकड़ियां भेजी थी मैंने उन्हें इसलिए भेजा था कि क्योंकि मैं यह चाहता था कि वे उस राज्य सरकार की सहायता के लिए उपलब्ध हों।

किसी भी राज्य सरकार ने मुझे नहीं बताया कि वह अर्धसैनिक बलों का उपयोग नहीं करेगी। फिर भी, उन्होंने उनका उपयोग नहीं किया। श्री कल्याण सिंह जी से अभी तक मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है, जिससे कहा जा सके कि वह केन्द्र द्वारा भेजे गए अर्धसैनिक बलों का उपयोग करने से इन्कार करते हैं। गृह मन्त्री जी मेरी बातों को सुनेंगे। परन्तु कल्याण सिंह जी ने उनका उपयोग नहीं किया। अन्तत: अन्तिम दिन जब हमने उनसे कहा कि वह कृपया सैनिक बल का उपयोग करें, गृह सचिव, जोकि मुख्य-मन्त्री जी के साथ बैठे हुए थे, ने कहा —यह बड़े दुर्भाग्य की बात है—ऐसा सोचा नहीं जा सकता और सचमुच यह दुर्भाग्य की बात है—

> "मध्याह्न 2.20 बजे, डी० जी०, आई० टी० बी० पी० ने एम० एच० ए० को सूचित किया कि डी० आर० सी० से चल पड़े बटालियनों को रास्ते में प्रतिरोध एवं अवरोधों का सामना करना पड़ा और कई सड़कों को जामकर दिया गया तथा वाहनों को रोक दिया गया। मार्ग में लोगों से बात करने के बाद रक्षक बेड़ा बहुत ही मुश्किल से साकेत डिग्री कालेज पहुंचा, जहां सैनिक बलों को फिर से रोका गया और सड़कों को जामकर दिया गया। पत्थर फेंकने की छिटपुट घटनायें भी घटी। दंडाधिकारी ने लिखित रूप में उन्हें लौटने का आदेश दिया। डी० जी० आई० टी० बी० पी० ने आगे बताया कि दंडाधिकारी के आदेशानुसार तीन बटालियन वापस चले गए। इसके बाद आयुक्त से सम्पर्क किया गया तब उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने यह आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में गोली नहीं चलेगी।"

(व्यवधान) इससे पहले, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान गृह सचिव से मुख्य मन्त्री जी के घर पर मिले और उनसे कहा कि वह मुख्य मन्त्री जी को समझाये कि केन्द्रीय बलों की सहायता लें। प्रधान गृह सचिव ने कहा कि मुख्यमन्त्री जी से परामर्श करने के बाद वह केन्द्रीय बलों की मांग करेंगे।

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

कभी भी इसका विरोध नहीं किया गया। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वह समय कब आयेगा जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य का शासन नहीं चल सकता ? अतः ऐसी कुछ कठिनाईयां हैं। काश अनुच्छेद 356 में, केवल वह एक शब्द होता, जिसके अनुसार "एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।—यदि उसके बाद यह जोड़ दिया जाता—उत्पन्न होने वाली है।" तब राज्यपाल को, राष्ट्रपति को बहुत राहत मिलती। परन्तु तब हमें बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा। ऐसा संविधान के इतिहास, में अनुच्छेद 356 के इतिहास में पहली बार हुआ है जब उसकी परीक्षा ली गई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और इस परीक्षा में संविधान विफल हुआ है। इस बात पर सोचना नहीं है, कि उसका उपयोग किसने किया किसने नहीं किया, किसी भी तरह से देखने से यह पता चलेगा कि इसमें कुछ कमी है जिसे कि ठीक किया जाना है।

यह एक कारण है कि मुझे राज्य सरकार पर क्यों विश्वास करना पड़ा। (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : क्या आपको कोई आई० बी० की रिपोर्ट मिली है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आई० बी० की रिपोर्ट में और मैंने जो कुछ पढ़ा है उनमें कोई अंतर नहीं है। उसके बाद, उस तारीख से तीन दिन पहले, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल स्पष्ट शब्दों में यह लिखते हैं कि केन्द्रीय सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात नहीं सोचना चाहिए, मैं पुनः दोहराता हूं, नहीं सोचना चाहिए। आगे वह यह भी कहते हैं कि यदि ऐसा विचार किया जायेगा तो बाबरी मस्जिद की सुरक्षा पर संदेह हो सकता है। मुझे पत्र मिला है। यह सब कारक एक ओर हैं जिसकी वजह से मैं अनुच्छेद 356 में लागू नहीं कर सका और दूसरी ओर, अधिक जानकारी रखने वाले लोगों द्वारा निजी सलाह दी गई।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : वह अनुच्छेद 356 का उद्धरण दे रहे हैं। क्या अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि यदि भारत सरकार को राज्यपाल तथा राज्य सरकार के रिपोर्ट के बगैर ही यह विश्वास हो जाता है कि वहां संविधान प्रभावी नहीं है और वे कार्रवाई कर सकते हैं ? और सरकार ने जो जानकारी प्राप्त की उसी के आधार पर यहां तक कि राज्यपाल के रिपोर्ट के बिना ही कार्रवाई की गई।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : चन्द्र शेखर जी, आपकी बात से सहमत हूं। मैं केवल उन परिस्थितियों को सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार कार्यवाही नहीं कर सकी। मैंने इतना ही कहा था। दूसरी ओर, जैसा कि मैंने कहा है, मुझे यह सलाह दी गई थी कि ये लोग हमें शर्मिन्दा करेंगे और सरकार की ओर से नहीं बल्कि कुछ नेताओं की ओर से ये बयान दिए गए थे कि ये लोग वहां अपनी कार-सेवा साफ-सफाई तक ही सीमित नहीं रखेंगे। यह अलग बात है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि सरकार को दोनों पक्षों के साक्ष्य की प्रमाणिकता देखनी पड़ी और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि, इन परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसे समय जब यह कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकता था, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना संभव नहीं था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं—मैं नहीं जनता कि मुझे ऐसा करना चाहिए अथवा नहीं—कि अयोध्या में कुछ ऐसी स्थिति थी कि हमें बहुत सावधान रहना था। बाबरी मस्जिद को बन्धक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एक ओर इस बात की संभावना थी कि इस ढांचे को बातचीत द्वारा सरकार की और वचनबद्धता द्वारा बचाया जा सकता है जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार की पहल के बावजूद हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम केन्द्रीय बलों की सहायता से

उस ढांचे को बचा सकें। कुदाल और अन्य औजारों से नहीं, जैसाकि उस दिन इस्तेमाल किया गया था, यदि राज्य सरकार आंखें मूंद लेती तो इस ढांचे को दो सौ गज दूरी से, टैनिस बाल के आकार के एक बम से क्षणों में उड़ा दिया जाता। ऐसा होने की सम्भावनाएं थी। यह बात ऐसी है कि मानो एक मां अपने शिशु की हत्या कर रही हो, शिशु को जहर दे रही है। हम इसकी उम्मीद नहीं रखते हैं पर जब ऐसा होना है तो, होगा ही कोई भी उसे बचा नहीं सकता। यह मेरी स्थिति है···(व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नानी) : पूर्व के अनुमानों के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यही तो मैं कह रहा हूं जुलाई में मैंने सत्ता सम्भाली। आप सबने मेरी बात सुनी इस सभा में मेरे वक्तव्य को सुना। हमने उस पर चर्चा की। यह चर्चा काम आई। मैं उसी के अनुसार चल रहा था···(व्यवधान)। मैं उसी के अनुसार चल रहा था जिसको मैंने विस्तार से अपने वक्तव्य में कहा है। हमारे पास सेल था। हमने चर्चा रखी थी। बड़े अच्छे माहौल में दो बैठकों का आयोजना हुआ था। तीसरी बैठक में यह मामला उच्चतम न्यायालय के सुपुर्द करने की बात तय करनी थी। ऐसे समय ही बीच में अवरोध उत्पन्न किया गया और सब कुछ पहले की स्थिति पर पहुंच गया। यह स्थिति है। इतिहास न्याय करेगा जनता न्याय करेगी। मैं स्वयं इस मामले में कट्टर नहीं था। मेरी अपनी पार्टी के कुछ लोगों के विचार भी अलग-अलग थे। मैंने अपने दल के सदस्यों से कहा कि यह संभव है कि कांग्रेसियों के भिन्न-भिन्न विचार हो सकते है। यह सवाल नहीं है कि किसकी बातें सही थी, और किसकी गलत। आप एक फैसला कीजिए, उस पर अड़े रहिए और उसका समर्थन कीजिए। यदि आपको जीतना है तो आप जीतेंगे और हारना है तो हारोगे···(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमन्त्री जी के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर पूर्ण विश्वास किया और विश्वास नहीं करने का उनके पास कोई कारण ही नहीं था। और चूंकि उन्होंने पूरी तरह से विश्वास किया था, इसलिए यह गम्भीर दुर्घटना घटी। क्या मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी को यह याद दिला सकता हूं कि हमने एक प्रश्न किया था कि यदि अचानक कल्याण सिंह जी त्याग पत्र दे देते, तो वे उस स्थिति को कैसे सम्भालेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास वैकल्पिक कार्यक्रम है और कुछ ही क्षणों में कार्यवाही करेंगे और स्थिति को सम्भालेंगे। इसका मतलब है कि ऐसा ही हुआ था, क्योंकि प्रशासन के पास केवल विश्वास ही नहीं बल्कि वैकल्पिक उपाय भी होना चाहिए। हमें समझाया गया था कि वैकल्पिक उपाय हैं और यदि श्री कल्याण सिंह जी इस्तीफा देते हैं तो उनके पास वैकल्पिक उपाय हैं और कुछ ही क्षणों में स्थिति को सम्भाल लिया जा सकता है। यहां पर सारी स्थिति का उल्लेख किया गया। क्या मैं जान सकता हूं कि उस वैकल्पिक उपाय का क्या हुआ ? उस वैकल्पिक का क्या हुआ जिसे, यदि कल्याण सिंह अन्तिम क्षणों में इस्तीफा देते, तो आप प्रयोग करने वाले थे ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, जब श्री कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने ऐसा किया। हमको यह सूचना मिली थी कि भाजपा अपने राज्यों को, जहां पर उनका शासन था, बचाना चाहती है। इस्तीफे की गुंजाइश नहीं थी। परन्तु यह हमारी जानकारी के विपरीत हुआ। उस समय सरकार को बरखास्त करने के सिवाए और कुछ नहीं किया जा सकता था और ऐसा ही किया गया।

वास्तव में मैं सभा से यह कहना चाहता हूं कि हम इस बात पर न जाएं कि किसको सही जानकारी मिली थी और किसको गलत। मैंने दोस्तों और अन्य पार्टियों की आलोचना सहन की है। मैं आपके

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

समक्ष केवल ज्ञात तथ्यों को रखने की कोशिश कर रहा हूं। इन तथ्यों के बावजूद विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात ऐसा होता है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। षडयन्त्र एक ऐसा तत्व है, जो काफी समय बाद जानकारी में आती है, जबकि इसकी खबर किसी को नहीं होती। यदि पहले से ही षडयन्त्र की जानकारी होती तो इन्दिरा जी और राजीव जी की हत्या नहीं होनी थी। यह उन दुर्घटनाओं में से एक है जो हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि वह निर्दोष व सच्चा है। कोई भी योजना पूर्णतः सौ प्रतिशत सुरक्षित नहीं हो सकती।

आपको सब कुछ प्राप्त है, परन्तु दण्डाधिकारी नहीं मिलते। क्या यह संभव है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप दण्डाधिकारियों को कहां से लाएंगे? यदि राज्य सरकार आपको वे 20 दण्डाधिकारी नहीं देती जिनकी जरूरत है तब क्या आप उनको दिल्ली से लाएंगे। क्या कानूनी तौर पर ऐसा सम्भव है? क्या कोई विधिवेता मुझे बतायेगा?

इसलिए, यदि आप विस्तार में जाएंगे तो कई कारण हैं। और जांच आयोग इस मामले की जांच करेगा। मैं आपके सामने केवल कुछ बुनियादी तथ्य रख रहा हूं जिस पर ध्यान की आवश्यकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं। क्या यह बात सही नहीं है कि आपको, भारत सरकार को मध्याह्न 12 बजे तक यह खबर मिल गई थी कि ढांचे तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है? यदि यह बात सही है तो यह निर्णय लेने के लिए कि क्या किया जाए, सायंकाल छह बजे तक मन्त्रि मण्डल की बैठक का आयोजन क्यों नहीं किया गया?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जिस व्यक्ति को भी प्रेसी सूचना मिलती है, उसका मनोवेग यह होता है कि वह पहले मस्जिद को बचाएं। हमने उनको पुलिस बलों का उपयोग करने के लिए कहा; हम उनसे कहते रहे कि वे बलों का उपयोग करें। उस स्थिति में यही सब किया जा सकता था। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, छह दिसम्बर को जो कुछ हुआ उसके पीछे जो युक्ति थी···

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार कब तक उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा करती रही? क्या सरकार रात आठ बजे तक अथवा नौ बजे तक उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा करती रही जब तक मस्जिद तोड़ने का कार्य पूरा हो चुका? इसलिए माननीय प्रधानमन्त्री जी से यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह जानकर कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, उनके साथ धोखा किया गया है, वे कब तक विश्वास करते रहें। इसी बात की हमें चिन्ता है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : रात के 9.10 बजे माननीय राष्ट्रपति ने पत्रों पर हस्ताक्षर किए। रात 7.30 बजे के आस पास श्री एस० बी० चव्हाण ये पत्र उनके पास लेकर गए। यदि मुझे ठीक याद है तो यही समय हुआ था। (व्यवधान)

छह दिसम्बर को क्रूर घटना का प्रभाव शुरू हुआ था···सही अर्थों में इसे उतने समय में ही शुरू

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया गया जितना कि कार्यवाही करने में लग जाता है । एक के बाद दूसरी कार्यवाही की गई है । जी हां, इसमें कार्यवाही भिन्न दिशा में की गई है चूंकि एक ऐसी बहुत बुरी त्रासदी के कारण ऐसा करना पड़ा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और फिर नई दिशा को अपनाया गया, चुनौती को स्वीकार किया गया और लड़ाई में शामिल होना पड़ा । अब हमें वापिस इतिहास की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक नया इतिहास बनायें और आज कई वर्षों के बाद देश की धर्म-निरपेक्ष ताकतें एकजुट हो गयी हैं, अपने आन्तरिक मतभेदों के रहते हुए भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां आज एकजुट हो गयी हैं । मैं यह महसूस करता हूं कि इस समय···(व्यवधान) यह बहुत जरूरी था और हम आगे बढ़कर यह देखेंगे कि देश के धर्म निरपेक्ष मूल्यों को पूर्णतया पुनःस्थापित किया जा सके, और हमारे महान नेताओं ने संविधान के माध्यम से तथा अपने आदर्शों के माध्यम से हमें जो कुछ बताया है, हम हर कीमत पर उसे बनाये रखेंगे ।

महोदय, श्री इन्द्रजीत ने एक बहुत ही संगत प्रश्न किया है । वास्तव में मैं संविधान सभा के उसी प्रस्ताव को पढ़ने वाला था, जोकि इन्होंने पढ़ा है । अपने दल की एक बैठक में भी एक बार मैंने यही बात कही थी । एक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में गैर-पंथ निरपेक्ष दलों का क्या स्थान होना चाहिए और लोकतन्त्र में भाग लेने वाले दलों के गठन और उनका कार्यक्रम क्या होना चाहिए, यह एक प्रश्न है जिस पर राष्ट्र-स्तरीय चर्चा होनी चाहिए । मैं इस पर चर्चा के पक्ष में हूं, मैं यह चाहता हूं कि विचार का और ऐसे नेतागण एकजुट हो जाए क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है जब हमें इन ताकतों में समन्वय-शक्ति का अभाव दिखाई देता है । कई वर्षों तक हम इसी तरह चलने की कोशिश करते रहे हैं । लेकिन अब हमने यह देखा है कि एक राजनैतिक दल ऐसा है जोकि धार्मिक मुद्दे को अपने मुख्य मुद्दे के रूप में लेता है । मैं किसी धार्मिक मुद्दे के विरुद्ध नहीं हूं और न ही मैं किसी धर्म के विरुद्ध हूं, परन्तु धार्मिक मुद्दे को राजनीति में शामिल करके एक के बाद दूसरा चुनाव लड़ने की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

इस बात पर ध्यान देना होगा और बड़े प्रभावकारी ढंग से इस पर नियंत्रण लगाना होगा। यदि कोई दल हथियार उठा लेता है, उदाहरण के लिए यदि किसी दल का कोई उम्मीदवार ए० के० 47 लेकर चलता है और दूसरे दल के उम्मीदवार के पास कुछ भी नहीं होता तो यह तो बराबरी की लड़ाई नहीं होती । यदि कोई दल राम नाम का सहारा लेकर रात दिन लोगों के दिलों-दिमाग को प्रभावित करने में लगा रहता है और दूसरा दल इस शब्द का इसलिए प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वह पंथनिरपेक्ष दल है और इसलिए इस शब्द का एक मुद्दे के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहता, तो यह भी बराबरी की लड़ाई नहीं है और मेरे विचार से संविधान ऐसी गैर-बराबरी की लड़ाई की अनुमति नहीं देता । दोनों टीमों के लिए मैदान एक-समान ही होना चाहिए । जो लोग चुनाव में भाग लेते हैं उन्हें किन्हीं सिद्धांतों और मार्ग निर्देशों के आधार पर ही चुनाव में भाग लेना होगा, जोकि सभी के लिए एक समान हैं और जिनका संविधान में स्पष्ट वर्णन किया गया है ।

इस बात को ध्यान में रखना होगा । यह हम दोनों के लिए उचित बात होगी । राम को अपने स्थान पर ही रहने दिया जाए । हमें अन्य मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जोकि जनता को दृष्टिगत रखते हुए अत्याधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हों और संविधान को सही तरीके से अमल में लाने का केवल यही एक तरीका है । मैं अन्य राजनैतिक दलों से, जोकि यह सोच रहे हैं कि शायद धार्मिक मुद्दे उनके लिए स्थायी संपत्ति बन गए है, यह अपील करता हूं कि ये मुद्दे उनके लिए स्थायी संपत्ति नहीं बन पायेंगे । भारत के लोग बड़ी आसानी से और जल्दी ही इस चाल को भांप लेंगे भले ही एक चुनाव अथवा दूसरे चुनाव या फिर उससे अगले चुनाव में जाकर देखें, इससे लोग यही

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

देख पायेंगे कि शायद आपने अपने पांच वर्ष बिना कोई कार्य किए व्यर्थ में ही गंवा दिए हैं और केवल अनावश्यक नारेबाजी ही की है। अतः मैं यह चाहता हूं कि इस बात पर विचार किया जाये। इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री इन्द्रजीत का धन्यवाद करता हूं। हमें इसे कार्यरूप देना होगा; हमें इसके बारे में विचार करना होगा। यदि सम्भव हुआ तो मैं भी इस सभा में आऊंगा अथवा सबसे पहले विपक्ष के नेताओं, सभी नेताओं के बीच आम चर्चा करायी जाएगी, एक व्यापक चर्चा करायी जाएगी कि इस भूल का जोकि एक दशक से काफी खतरनाक रूप धारण कर गयी है, कैसे समाधान किया जा सकता है।

एक छोटे से रूप में इसकी शुरूआत हुई थी लेकिन उसके बाद इसने सभी दलों को थोड़ा बहुत प्रभावित किया है। आज जब मैं यह कहता हूं कि जो कुछ हो चुका है उसे पूर करना होगा तो सभी दलों की भौंए तन जाती हैं। मैं किसी भी दल में इस तरह की बात नहीं देखना चाहता। यदि हम पंथनिरपेक्ष हैं तो किसी विनाशक को इस तरह का विनाशकारी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूं। चर्चा के दौरान प्रत्येक बात पर चर्चा की जाएगी। हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, और हम तरीकों का पता लगायेंगे, जोकि हम पता लगाने वाले हैं, एक बार फिर हम तरीकों का पता लगायेंगे। इसके बारे में मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं। मैं एक बार फिर आपसे अपील करना चाहूंगा कि आज जोड़-तोड़ लगाने का समय नहीं है, हमें एक कार्यक्रम बनाकर आगे बढ़ना होगा।

जहां तक पुनर्वास और पुनर्निर्माण उपायों का सम्बन्ध है, मैं सोचता हूं कि इस बारे में जो कुछ निर्णय लिया गया है, इसकी जानकारी सभा को दे दी जाए। भारत सरकारों को सलाह दी है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए जोकि हाल ही के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं कर पाए। इस समय सांप्रदायिक दंगों में शिकार हुए लोगों को जो अनुग्रह-उपदान सहायता की व्यवस्था की गई है, वह प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। सरकार इस बात को देखेगी कि सभी राज्य सरकारों द्वारा दंगापीड़ितों को एक समान आधार पर सहायता दी जाए, ताकि जो लोग दंगों में मारे जाते हैं, उनके निकटतम सम्बन्धी को एक लाख रुपये की सहायता दी जा सके और जो लोग हमेशा के लिए अक्षम होकर रह जाते हैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा सके। इस विशेष घटना के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसे अपवाद का मामला मानते हुए जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके मामले में हम इस सहायता राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए करना चाहेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उत्तर प्रदेश सरकार केवल 50000/- रुपए ही दे रही है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करेंगे और हम यह देखेंगे कि इसका भुगतान कर दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : जो पुलिस के लोग मारे गए हैं, या उनको भी यह सरकार कुछ मुआवजे के तौर पर देने का विचार रखती है।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : गड़बड़ी के दौरान जिन धर्म-स्थलों को क्षति पहुंची है, उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए एक कोष की स्थापना की जाएगी। अनुग्रह-उपदान राहत के अतिरिक्त मृत्यु,

गम्भीर रूप से जख्मी होने अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचने की अवस्था में भारत सरकार राज्य सरकारों से सिफारिश करेगी कि हाल के साम्प्रदायिक दंगों में शिकार हुए लोगों को निम्नलिखित सहायता भी प्रदान की जाए।

यदि किसी परिवार का कमाने वाला कोई सदस्य साम्प्रदायिक दंगों में मारा गया है अथवा स्थायी रूप से कमाने के अयोग्य हो गया है तो उन परिवारों की विधवाओं अथवा उनके बच्चों को रोजगार प्रदान किया जाए, जो परिवार बेघर हो गये हैं, उन्हें रहने के लिए आवासीय स्थान आवंटित किए जाएं, उनके परिवारों को दुकानें/तख्त रखने के लिए स्थान आवंटित किए जाएं जिससे वह अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें और दंगों में क्षतिग्रस्त काम धन्धा दोबारा शुरू करने के लिए चल पूंजी व पूंजी निवेश के लिए बैंक ऋण दिए जाए। संघ शासित क्षेत्रों में भी इसी तरह के उपाय किए जाएंगे। सरकार ने इस तरह के निर्णय लिए हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : कर्फ्यु के दौरान श्रमिकों को उनकी मजदूरी के भुगतान के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है। इसे भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, माननीय सदस्यों से ऐसे कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। यदि अधिक सुझाव प्राप्त होते हैं और वे सुझाव व्यवाहार्य होंगे, तो हम उन पर भी विचार करेंगे। मैंने पहले भी ऐसा ही किया है···(**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद मुआवजे की राशि में वृद्धि नहीं की गई है। इन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा। इसमे से किसी बात को भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : प्रधानमन्त्री जी ने कहा था और सभा को आश्वासन परसों दिया था कि अयोध्या मुद्दे पर श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु श्वेत-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ढांचे के पुनर्निर्माण के बारे में, आपने आज कुछ भी नहीं कहा। पुनर्निर्माण के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा है कि इस विशेष विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अन्दर अपने विचार प्रस्तुत किये जाएं। हम इस विषय के सभी पहलुओं की जांच कर उच्चतम न्यायालय को अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जा रहा है। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : प्रचार माध्यमों के जिन लोगों को क्षति पहुंची है, उनके बारे में कोई भी बात नहीं की गई।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, प्रचार माध्यमों के सदस्यों के सम्बन्ध में जांच आयोग बनाने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं। इस बीच हमने यह निर्णय लिया है कि जिन लोगों के उपकरणों आदि को क्षति पहुंची है, उन्हें कतिपय रियायतें दी जाएं जिनके बारे में उन्होंने स्वयं भी कहा था। इस प्रकार प्रचार माध्यमों के सदस्यों के साथ क्या हुआ, इस बारे में जांच आयोग को काफी बारीकी में जाकर पता लगायेगा।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : क्या आप उन विशेष शर्तों में सरकार की भूल को भी शामिल कर रहे हैं ? इसे भी शामिल किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री वाजपेयी जी।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा।

(**व्यवधान**)*

[**हिन्दी**]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं सभी सदस्यों के भाषण सुन नहीं सका, यहां उपस्थित नहीं रह सका, लेकिन मैंने सब के भाषण देखने की कोशिश की है।

चर्चा आरम्भ करते हुए मैंने जो भावनाएं व्यक्त की थीं, मुझे खेद है कि चर्चा उनके अनुरूप नहीं हुई। आरोप-प्रत्यारोप सदन में होते रहे हैं, आगे भी होंगे। दोषारोपण सरल है, आत्मनिरीक्षण कठिन है। 6 दिसम्बर की घटनाओं का भाष्य अगर इतना सरल होता जितना हमारे सामने बैठे हुए कुछ मित्रों ने करने की कोशिश की है, तो दूसरी बात होती। मैं श्री पायलट को ढूंढ रहा हूं—चर्चा में एक के बाद एक मन्त्री, ऐसा लगता है कि मन्त्रियों में होड़ लगी थी कि प्रधानमन्त्री के प्रति अपनी निष्ठा, प्रतिबद्धता कौन दिखाता है। (**व्यवधान**) वे तो मन्त्रिमंडल के सदस्य थे, वे तो निर्णयों में भागीदार थे। (**व्यवधान**) मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन क्या मैं टिप्पणी नहीं कर सकता ?

अब मैं एक छोटी सी बात का उल्लेख करूंगा फिर बाद में गंभीर मामले पर आऊंगा। श्री पायलट ने उस दिन खड़े होकर ऐसा रहस्योद्घाटन किया कि अयोध्या में ढांचा तोड़ा गया है और ढांचा तोड़ने वालों को मिलिटरी ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग देने के लिए अहमदाबाद के पास सरखेज में एक कैम्प लगाया गया था और फिर ब्रिगेडियर का नाम भी ले लिया। आपने वह नाम रिकार्ड में जाने नहीं दिया।···(**व्यवधान**) दूसरे दिन अखबार में था कि ढांचा टूट गया तो जरूर कोई साजिश होगी। ऐसे लोगों की साजिश होगी जिन्होंने ट्रेनिंग ली होगी और ट्रेनिंग देने वाला कोई मिलिटरी अफसर था—मुझे दुख है पायलट साहब जरा सच्चाई का पता लेते।

सरखेज में एक संस्था है जो इन्टरनल सिक्युरिटी के लिए ट्रेनिंग देती रहती है और जो ब्रिगेडियर हैं, वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्हें कांग्रेस के मुख्यमन्त्री ने एक पद पर नियुक्त किया था। उन्होंने बयान जारी किया है। ये वाटर पोलूशन बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। मैं इसके लिए आलोचना नहीं कर रहा हूं। वे वहां ट्रेनिंग दे रहे थे। इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। राईफल ट्रेनिंग होती है, जूडो सिखाया जाता है। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मैं ब्रिगेडियर पर आक्षेप नहीं कर रहा, न मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर आक्षेप कर रहा हूं। लेकिन उस सारे मामले का आप ठीक पता लगाते। आखिर आप कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, आप थोड़ा कम्युनिकेशन भी नहीं रख सकते···(**व्यवधान**)

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अटल जी, आज भी आप यह मानने को तैयार नहीं हैं कि प्री-प्लान था।···(**व्यवधान**) आप यह आत्मा से कहिए कि प्री-प्लान था कि नहीं था। मैं आज भी मानने के लिए तैयार हूं···(**व्यवधान**)।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जब पायलट साहब ने आरोप लगाया था और यहां से आवाज उठी थी कि अगर आरोप गलत हो तो पायलट साहब इस्तीफा दे दें। मैं इस्तीफा देने की मांग कर रहा हूं, वे मेरे मित्र हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सदन में इस तरह की सनसनी पैदा करने के खिलाफ मेरी शिकायत जरूर है।

अयोध्या में जो कुछ हुआ, आपने उसकी जांच के लिए कमीशन बना दी है। हमने कमीशन का स्वागत किया है, हम भी तथ्यों को जानना चाहते हैं। लेकिन तथ्य सामने आए, कमीशन की जांच का परिणाम प्रकट हो इससे पहले आप कमीशन को प्रभावित कर रहे हैं—यह एक बात है। दूसरी बात हमारे विरुद्ध देश में एक जहरीला वातावरण पैदा कर रहे हैं जिसके पता नहीं क्या परिणाम हो सकते हैं। अयोध्या में जो कुछ हुआ उसका हमें खेद है···(**व्यवधान**) प्रधानमंत्री जी कहते है कि उन्हें विश्वास दिलाया गया था। मैं मानता हूं और मैंने पहले दिन भी कहा था। मैंने पहले दिन जो कहा था, अगर उस वातावरण को आधार बनाकर, उस स्वीकृति को आधार बनाकर चर्चा होती तो हम कहीं पहुंच सकते थे।

6.00 म० प०

मगर 2-3 दिन की चर्चा हमें किसी सही स्थान पर पहुंचने में मदद नहीं करेगी, यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं।

प्रधान मंत्री जी को विश्वास था कि यह जो कह रहे हैं उसका पालन होगा। हमको भी विश्वास था और इसमें प्रधान मन्त्री जी भी शामिल हैं और सारी सरकार शामिल है कि अयोध्या के मामले में ढांचे को सुरक्षित रखने का काम और 2.77 एकड़ पर कार सेवा का काम अलग कर दिया जायेगा, लखनऊ बैंच का फैसला आ जायेगा और कार सेवा करने के लिए जो लोग इकट्ठे होंगे, उनको अवसर मिल जायेगा। यह हमें विश्वास था। आप कहेंगे कि आपका विश्वास विश्वास है और हमारा विश्वास साजिश है। यह विश्वास का नापने के अलग-अलग गज कैसे हो सकते हैं, जो फैसला 11 दिसम्बर को हुआ अगर 6 दिसम्बर से पहले हो जाता···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ऐसा कैसे हो सकता था?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं बताना नहीं चाहता हूं। चटर्जी साहब कहेंगे कि अदालत का फैसला कैसे आ सकता है। वह बड़े वकील हैं और हर काम में कानूनी दांव-पेंच जानते हैं। हम साधारण आदमी हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि सरकार ने हमारी यह मांग भी नहीं मानी कि हम लखनऊ बैंच के सामने जाकर कहें, मिल कर कहें कि आप शीघ्र फैसला सुना दें। इतनी बात नहीं मानी।

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए और मैं सोचता था कि चर्चा में इसके जवाब आयेंगे। या तो यह कहिए कि अयोध्या में जो कुछ हुआ, जब तक उसकी जांच के परिणाम नहीं मिलते हैं तब तक फतवे नहीं देंगे, हम फैसले नहीं देंगे, हम किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं इस अवस्था में एक बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। श्री अटल जी की सूचना के लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लखनऊ पीठ की कार्रवाई में केन्द्र सरकार

का कोई हाथ नहीं है । हमें तो इससे इसलिए सम्बद्ध किया गया है क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम होता है । केवल इसलिये । हम इससे पूरी तरह से संबद्ध नहीं हैं । कृपया इस बात पर ध्यान दिया जाए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, फिर प्रधान मंत्री कानूनी बातें दे रहे हैं । बात विश्वास की हो रही है मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं प्रधान मन्त्री के मंत्रिमंडल के साथियों को कठिनाई में डालना नहीं चाहता हूं । जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि फैसला जल्दी हो जायेगा और हाई कोर्ट को आपत्ति क्या हो सकती थी, मगर दोनों सरकारें वहां जाकर कह सकती थीं उसका असर होता ।

अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने अयोध्या के प्रश्न पर बिस्तार से प्रकाश डाला है । उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है । मैं कहता हूं कि आप जांच होने दीजिये, परिणाम आने दीजिए । हम भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है ? कम से कम मुझे जानकारी मिलेगी । मैं प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूं···(व्यवधान)···

श्री राम नाईक : आप खड़े होकर बोलिए । हमने आपकी बातें सुनी हैं, अब आप हमारी बातें सुनिए (व्यवधान)···यह सब क्या है ?

[अनुवाद]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री सोमनाथ चटर्जी मैं इसे नहीं मान रहा हूं···(व्यवधान) मैं मानने से इन्कार करता हूं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

जिन पार्टियों का कोई दीन-धर्म नहीं है, एक दिन 356 को खत्म करने की बात करते हैं तो दूसरे दिन उसका समर्थन करते हैं, उन पार्टियों को मैं मुंह नहीं लगाना चाहता हूं ।

कल्याण सिंह जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफीडेविट दिये थे, उनका वह पालन नहीं कर सकी । इसीलिये कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया । आपने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, आपने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया । यह बहुत बड़ा काम किया आपने···(व्यवधान) कल्याण सिंह की सरकार एक चुनी हुई सरकार थी । अगर कल्याण सिंह ने अदालत की मानहानि की है तो अदालत में मुकदमा पेश है, अदालत उनको सजा देगी । जहां तक वह जनता के सामने उत्तरदायी थे, उन्होंने अपना नैतिक दोष स्वीकार कर लिया, त्याग-पत्र दे दिया । मगर आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, जैसा एक जनप्रतिनिधि सरकार को दूसरी जनप्रतिनिधि सरकार के साथ करना चाहिए । ···(व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मन्त्री से पूछना चाहता हूं, कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने के दो कारण बता दिये···(व्यवधान)···यह जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल की सरकारें बर्खास्त की गईं, इनके कारण क्या हैं ? एक सरकार को यह बहाना बनाकर तोड़ा गया है कि उसके मन्त्रियों ने कार सेवकों को विदाई दी । जब विदाई हुई

जब कार सेवक भेजे गये, तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कार सेवा बन्द नहीं थी । सुप्रीम कोर्ट ने कार सेवा करने की इजाजत दी थी···

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मस्जिद तोड़ने के लिए नहीं ।